

मुख्य अभियंता-5, मुजफ्फरपुर का कार्यालय,

ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार।

पत्रांक-11 मुजबो-5 फरवरी-01-154/25

1265 अंशु

/पटना, दिनांक- 29.4.25

सेवा में

श्री जय किशोर कुमार
मुख्य अभियंता-5,
ग्रामीण कार्य विभाग,
बिहार पटना।

सेवा में

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रगति बेटिया

विषय- शीर्ष 4515 MMGSUY योजना अन्तर्गत कार्य प्रगति बेटिया के अधीन RRSMP/24-25 Betiah/03 (Tender-ID 139541) निम्न कार्य के निविदा निष्पन्न के संबंध में।

प्रस्ताव- अभियंता प्रमुख-उप-कार्यपालक-उप-प्रमुख-सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक-मु0310 (अनंशु)-4515-01 732/2025 1435 अंशु दिनांक-20.04.2025

महोदय,

शीर्ष 4515 MMGSUY योजना अन्तर्गत कार्य प्रगति बेटिया के अधीन RRSMP/24-25 Betiah/03 (Tender-ID 139541) निम्न कार्य के निविदा के विविध दल में सफल निविदाकार M/S Maa Bindyavashini

Construction (Bid ID-609622) द्वारा उद्धृत दर को कि प्रतिशत दर से 0.17 प्रतिशत कम है, अर्थात् कुल राशि 34,44,45,083.00 (चौबीस करोड़ चौबीस लाख पचासी हजार तेरासी) रु० मात्र पर कार्यहित एवं आपकी अनुशंसा के आलोक में यह कार्य आदेशित किया जाता है। इस निविदा के निष्पादन पर विनागीय निविदा समिति की सझमति प्राप्त है।

2. निविदा को स्वीकृति निर्दिष्ट इसी कार्य के लिए है, जो नविष ने प्रस्तावित नहीं होगा।

3. कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रगति बेटिया संवेदक के द्वारा एकरानना के लिए बना की गई राशि एवं निविदा के साथ अग्रयन के रूप में बना किये गये संबंधित स्टाफ/सहायक/प्रमुख/विश्व डिपेंडेंट/द्वैक गारन्टी आदि का सत्यापन कराकर प्रगति बेटिया कार्यालय में अमिलित करने एवं कार्यदिश निर्दिष्ट करने के पूर्व अग्रयन की राशि के सत्यापन से संबंधित कागजात अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराया जाता सुनिश्चित करेंगे।

4. एकरानना के पूर्व Bid Validity की अवधि विस्तार की जाय के उपरान्त ही एकरानना सुनिश्चित किया जाय।

5. एकरानना के पूर्व निविदा सूचना के अनुसार सभी दक्षिण कागजातों की अद्यतन स्वच्छ एवं सत्यापित प्रति निश्चित रूप से प्राप्त करा लिया जाय एवं साथ में इसकी भी जांच कर ली जाय कि संवेदक ईमेल सूची से मुक्त है।

6. अग्रयन अभियंता एवं कार्यपालक अभियंता अग्रयन कार्यदिश से पूर्व गती नीति आख्यस्त हो लेंगे कि पथ का हस्तान्तरण हेतु विभाग द्वारा आगमन प्रमाण पत्र निर्दिष्ट नहीं किया गया है।

7. कार्य में व्यवहृत सामग्रियों का दर प्राकल्पन में स्वीकृत सीड के आधार पर दिया गया है, कार्य कराते समय अगर इसमें कमी पाई जाती है तो उसके दर में समर्थन कर दी जायेगी।

8. इस कार्य के संबंध में ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार सरकार द्वारा निर्दिष्ट प्रशासनिक स्वीकृति एवं प्रादेशिक स्वीकृति तथा निविदा आगमन सूचना में उल्लिखित वस्तु एकरानना का नाम होगा, जिसे विशेष रूप में जोड़कर संवेदक के साथ एकरानना किया जायेगा।

9. अनुमोदित किये गये तुलनात्मक विवरणों के प्रत्येक बिन्दु की जांच अपने स्तर से स्वयं कर लेंगे एवं त्रुटि पाये जाने की स्थिति में तत्काल अधोहस्ताक्षरी को अद्यतन करदेंगे। त्रुटि के सुधारोपरांत एकरानना की कार्यदिश की जायेगी।

10. एकरानना के समय प्रत्येक नद के साथ की बुट्टा की जांच कार्यपालक अभियंता स्वयं कर लेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगे कि इसमें कोई त्रुटि न हो।

11. कार्यपालक के पूर्व कार्यपालक अभियंता कार्य स्थल के निरीक्षणोपरांत स्थल की स्थिति एवं प्राकल्पन में किये गये उपबंध से पूरी तरह अवगत हो लेंगे एवं प्रशासनिक स्वीकृति तथा प्रादेशिक स्वीकृति के अग्रगण्य प्रमाण में दिये गये निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित करदेंगे।

12. कार्यदिश निर्दिष्ट करने से पहले संबंधित संवेदक से एकरानना अवधि के अन्दर कार्य संचालन करने हेतु विस्तृत माध्याम कार्य प्रोग्राम प्राप्त कर ही एकरानना किया जाय।

13. अग्रयन अभियंता एवं कार्यपालक अभियंता विशेष रूप से ध्यान देंगे कि कार्य मानक दिशियों के अनुसार निर्दिष्ट कार्य अवधि के अन्दर पूरा की जाय।

14. कार्य समाप्ति की अवधि परिमाण विवरण के अनुसार होगी।

15. कार्यपालक अभियंता कार्य आदेशित किये गये संवेदक से 10 दिनों के अन्दर एकरानना करना सुनिश्चित करेंगे अन्यथा उनके अग्रयन की राशि जमा कर ली जाय।

16. इस कार्य का व्यय विभाग द्वारा निर्दिष्ट प्रशासनिक स्वीकृति में अतिरिक्त शीर्ष अग्रयन होगा।

17. एकरानना के समय आगमन के अनुसार इस कार्य को पूरा करने हेतु संवेदक से नदवार कार्य को पूरा एकरानना के समय प्राप्त किया जाय तथा उस कार्य योजना की प्रति संबंधित कार्य अभियंता एवं संवेदक अभियंता को भी उपलब्ध कराया जाय, ताकि

M/s Maa Bindyavashini Const.

अजयप्रतापसिन्हा
Partner

EXECUTIVE ENGINEER
R.W.D. Works Div, Bettiah
27/5/25

मौखिक अभियंता एवं सहायक अभियंता निर्धारित समय को साक्ष्य मददार, प्रगति का आकलन कर कार्यपालक अभियंता एवं संयोजित संवेदक को सूचित प्रत्येक 15 दिनों पर करेंगे। अगर संवेदक द्वारा निर्धारित समय को अंदर उचित मद के मात्रा का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया तो कार्यपालक अभियंता सहायक कार्यवाही संवेदक को निश्चय करेंगे। कार्यपालक अभियंता अगर उचित निर्देश का प्रावधान नहीं करते हैं तो वे स्वयं कार्यवाही को प्राप्त करेंगे।

10. सभी निविदा कागजात एवं तुलनात्मक विवरणी की मूल प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु खीटाई जाती है। आप निविदा कागजातों एवं तुलनात्मक विवरणी के जाँचीपरास्त आप आवश्यक निर्देशों को अपने स्तर से निर्गत करेंगे।
19. एकशरनामा से पहले निविदाताओं द्वारा दिये गये कागजातों का सत्यापन उनके मूल कागजात से मिलान कर ली जाय। कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग कार्य प्रगति, बेतिया तुलनात्मक विवरणी की एक अभिप्रायित प्रति अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग कार्य अंचल, बेतिया अभिलेख हेतु उपलब्ध करा देंगे। निर्देश दिया जाता है कि संवेदक से कार्य प्रोग्राम प्राप्त करें तथा सत्यापन कार्य समाप्त, कुशलता एवं पूर्ण से आवृत्तित कार्य की प्रगति से संतुष्ट हो लें।
20. इस निविदा की शर्तों में अगर कोई अंतर होता है तो बराबरी सूचना दुरुस्त इस कार्यलय को दी जाय।
21. कार्यपालक अभियंता, एकशरनामा करने के पूर्व संवेदक का निबंधन संख्या पूर्ण पता एवं दूरभाष संख्या कार्यदेश में अंकित करेंगे तथा इस कार्यालय को सूचित करेंगे।
22. परिमाण विपत्र की दर से कम दर उद्धृत करने वाले संवेदक से विभाग द्वारा पूर्व में निर्गत दिशा निर्देश के आलोक में अतिरिक्त वांछित परस्परमेश शिक्कुरिटी की शर्तें ठाम कराना सुनिश्चित करेंगे।
23. किसी भी परिस्थिति में निजी जमीन पर निर्माण नहीं कराया जाय।
24. प्रत्येक 15 दिनों पर संवेदक से स्वहस्ताक्षरित विपत्र प्राप्त कर स्थल से मिलान कर मापी पुरितका में मापी दर्ज कर मुगतान सुनिश्चित करेंगे।
25. एक शरनामा से पूर्व नियमानुसार Character Certificate and GST Clearance Certificate प्राप्त कर लेंगे। इसका प्रतियेदन अधोहस्ताक्षर को समर्पित करेंगे।
26. कार्य के वारान्वन में VJ को सभी भागीदार की भागीदारी निविदा में दिये गये JV Agreement के अनुरूप होनी चाहिए। यदि इसमें किसी भी प्रकार का फेरबदल हेतु साक्ष्य प्राधिकार के अनुमति प्राप्त करेंगे।
27. निविदा में यंत्र-संयंत्र एवं अभियंताओं के संबंध में दिये गए शपथ के अनुसार एकशरनामा करने से पहले इनके कागजात की जाँच कर लेंगे। कार्य स्थल पर यंत्र-संयंत्र एवं अभियंता की तैनाती सुनिश्चित करायेंगे। अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिये गए निरीक्षण के क्रम यदि यंत्र-संयंत्र एवं अभियंता की तैनाती में कमी पायी जायेगी तो नियमानुसार संवेदक पर कार्यवाही सुनिश्चित करें।
28. संवेदक से बीड वैधता का प्रमाण लेने के पश्चात ही एकशरनामा करना सुनिश्चित करें।
29. कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रगति, बेतिया को निर्देशित किया जाता है कि विभागीय पत्रांक-गु030-4-(गु0) विधि-23-201/2014-131 पटना दिनांक-13.12.2019 के आलोक में पत्र प्राप्ति के 24 घंटा के भीतर Letter of Acceptance (LOA) संबंधित संवेदक को निर्गत कर इसकी सूचना इस कार्यालय को भी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
30. संवेदक के चरित्र प्रमाण पत्र के संबंध में निर्गत विभागीय पत्रांक-489 अनु0 दिनांक-28.01.2021 को अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।
31. प्रासंगिक पत्र के साथ संलग्न विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही में दिए गए निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

कृपया पत्र प्राप्ति की सूचना देंगे।

अनु0-गद्योगत।

आपांक - II/गु030- 1265
प्रतिलिपि: अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह विशेष सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ समर्पित।

आपांक - II/गु030- 1265
प्रतिलिपि: अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, बेतिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आपांक II/गु030- 1265
प्रतिलिपि सहायक आई0टी0 मैनेजर, मुख्य अभियंता-5 का कार्यालय, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं ई-मेल पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

विश्वनाथनाथ

मुख्य अभियंता-5

/पटना, दिनांक- 29.4.25

मुख्य अभियंता-5

/पटना, दिनांक- 29.4.25

मुख्य अभियंता-5

/पटना, दिनांक- 29.4.25

मुख्य अभियंता-5

/पटना, दिनांक- 29.4.25

मुख्य अभियंता-5

M/s Maa Bindyavashini Const.

उजियताप सिन्हा
Partner

EXECUTIVE ENGINEER

R.W.D. Works Div. Bihar

M/s Maa Bindyavashini Const.